संख्या -11/सीपी 423/84-2-2013-सीपी 2/2012

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 08 जनवरी, 2014

विषय श्री राजवीर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, आगरा प्रथम के यात्रा बिल कालबाधित हो जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2897/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि 67/11, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में उक्त पत्र के साथ संलग्न दो यात्रा बिल धनराशि रूपया 3,743/- (दिनांक 11.11.2007 से 12.11.2007) एवं रूपया 26,125/- (दिनांक 28.03.2008 से 19.09.2008) मूल रूप में संलग्न कर वापस करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-ए-1 -2923/दस-3-1(6)-65, दिनांक 18 सितम्बर, 1985 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत श्री राजवीर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, आगरा प्रथम के उक्त यात्रा बिल के भुगतान हेतु पूर्व सम्परीक्षा की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in